न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 04 / 2023

1. बनवारी लाल पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

बनाम

– निगरानीकर्ता

1. ग्राम पंचायत धन्नासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ जरिये विकास अधिकारी।

–अप्रार्थीगण (गैर निगरानी कर्ता)

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता प्रार्थी(निगरानीकर्ता)

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01(गैर निगरानीकर्ता)

निर्णय दिनांकः– 07/06/2023

प्रार्थी (निगरानीकर्ता) बनवारीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्ध नोटिस ग्राम पंचायत दिनांक 03.05.2023 ग्राम पंचायत धन्नासर बाबत् अतिक्रमण हटवाने बाबत्, को निरस्त करवानें बाबत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

1. गैर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता को दिया गया नोटिस दिनांक 03.05.2023 विधि विरूद्ध है, जो कि काबिले खारिज के है।
2. निगरानीकर्ता ग्राम धन्नासार के वार्ड नं. 5 के स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता के वार्ड नं. 5 में पैतृक मकान है। निगरानीकर्ता का मकान पट्टाशुदा है, जो कि पट्टा निगरानीकर्ता के पिता ख्यालीराम के नाम से जारी है। निगरानीकर्ता का उक्त पट्टा पर गैर निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा 01.10.1959 से जारी शुदा है। दिनांक 01.10.1959 में पट्टे को बिना किसी आधार के ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धन्नासर का पट्टा जारी कर दिया, जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत समिति, नोहर में की जो दिनांक 03.10.2008 को स्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में हुई, निर्णय दिनांक 03.10.2008 की प्रति सलंग्न है। निगरानीकर्ता वार्ड नं0 5 में स्थित मकान में निर्बाध रूप से काबिज होकर निवास करते आ रहे है। निगरानीकर्ता के अधिवास बतौर निवास का नजरी नक्शा संलग्न निगरानी है।
3. ग्राम पंचायत गैर निगरानीकर्ता जो कि निगरानी कर्ता से चुनावी रंजिश रखते है, के द्वारा दिनांक 03.05.2023 को एक नोटिस, जिसका ज्ञान निगरानीकर्ता को नहीं है, निगरानीकर्ता के घर के सामने किसी दिवार पर चिपकाकर निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा

07.06.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मकान के आगे की गई चारदीवारी को दिनांक 03.05.2023 के ही दिन जेसीबी नं. RJ43 - EA0098 व अन्य साधनों के द्वारा निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा मकान की जगह में निर्मित चारदीवारी को आधा भाग क्षतिग्रस्त कर दिया व अधिवास के भाग को तहस–नहस करने का विधि विरूद्ध प्रयास किया है, जिसको निगरानीकर्ता निम्न आधार पर चुनौती देता है–

(क) ग्राम पंचायत धन्नासर है, जिसके पास ग्राम पंचायत धन्नासर का नजरी नक्शा व सम्पूर्ण रिकॉर्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्यवाही व विरूद्ध होने वाली समस्त कार्यवाही सधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गैर निगरानीकर्ता के विरूद्ध पंचायत समिति नोहर (हनुमानगढ़) द्वारा अपील सं. 05/2008 में दिनांक 03.10.2008 निर्णय निगरानीकर्ता के पक्ष में हुआ है, का भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद भी गैर निगरानीकर्ता द्वारा नोटिस दिनांक 03.05.2023 के अनुसरण में निगरानीकर्ता के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध होने के काबिले खारिजी के है।

(ख) गैर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 03.05.2023 को निगरानीकर्ता को नोटिस चेतावनी दिया जाता है। उसके पश्चात् निगरानीकर्ता को उसी दिन निगरानीकर्ता को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये पाबंद किया जाना व उसी दिन कार्यवाही किया जाना गैर निगरानी का कृत्य बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकतरफा कार्यवाही है, जो कि नेचुरल जस्टीस के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिजी के है।

(ग) निगरानीकर्ता का पट्टाशुदा मकान पैतृक आवास है, जिसका निगरानीकर्ता द्वारा अर्सा पूर्व से रिहायशी उपभोग किया जा रहा है। निगरानीकर्ता के उक्त रिहायशी मकान में प्रवेश के लिये एकमात्र गली पश्चिम दिशा से मुताबिक नजरी नक्शा उपभोग निगरानीकर्ता द्वारा किया जा रहा है, किन्तु गैर निगरानीकर्ता द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए गलत तरीका से निगरानीकर्ता के दीवार को आधी क्षतिग्रस्त करना विधि विरूद्ध है, जो दिनांक 03.05.2023 के नोटिस के क्रम में किया गया। कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिजी के है।

(घ) गैर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 03.05.2023 का नोटिस नहीं दिया, ना ही इसकी सूचना निगरानीकर्ता को है। केवलमात्र नोटिस, जो कि निगरानीकर्ता के घर पर भी चस्पा नहीं किया, केवल आनन–फानन में एक तरफा कार्यवाही की गई है, जो कि काबिले खारिजी के है।

(ड़) गैर निगरानीकर्ता के द्वारा एक गिरोह के रूप कार्य को अंजाम दिया गया, जिसमें वर्तमान सरपंच का पति– देवीलाल व अन्य गुण्डा प्रवृति के व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया गया, जबकि मौका पर सरपंच उर्मिलादेवी हाजिर ही नही थी। उर्मिला सरंपच के द्वारा एक गिरोह के माध्यम से काम करवाया गया व निगरानीकर्ता के शांति पूर्वक अधिवास को क्षतिग्रस्त करने का अविधिक प्रयास किया गया है, जो कि नोटिस दिनांक 03.05.2023 काबिले खारिजी के है।

07-06-2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि गैर निगरानीकर्ता के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 03.05.2023 की कार्यवाही को खारिज फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस द्वारा तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 की रजिस्टर्ड डाक ए.डी. प्राप्त हुई

लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री हवासिंह पूनियां ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 01.10.1959 को जारी पट्टा शुदा भूखण्ड पर मैं आज भी काबिज हूँ। राजनैतिक द्वेष के कारण धन्नासर ग्राम पंचायत द्वारा सहकारी समिति का पट्टा जारी किया गया। मेरे द्वारा अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर में की गई, तो दिनांक 20.12.1998 को जारी पट्टा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध सहकारी समिति ने निगरानी पेश की जो दिनांक 29.06.2011 को खारिज हो गई। इसी दौरान ग्राम पंचायत धन्नासर के सरपंच बदल गये। दिनांक 03.05.2023 को वर्तमान सरपंच ने चारदीवारी को तोड़ने का आदेश जारी किया कि पट्टा में वर्णित भूमि से ज्यादा पर अतिक्रमण बताया है। सरपंच ग्राम पंचायत धन्नासर को ऐसा करनें का अधिकार नही है। ऐसे आदेश हेतू ग्राम पंचायत आदेश पारित करती है तभी सरपंच कार्य करता है। यह नोटिस अकेले सरपंच द्वारा ही किया गया। यह सरपंच के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी धारा 97(क) में पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार अपील–निगरानी पंचायत समिति/ जिला परिषद के आदेश की होती है न कि ग्राम पंचायत की होती है। जहां तक सरपंच को नोटिस का अधिकार का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के नियम 165 के तहत ग्राम पंचायत के आबादी के अतिक्रमियों को नोटिस जारी करनें का अधिकार सरपंच को है। ग्राम पंचायत द्वारा तीन नोटिस जारी किये गये है। प्रार्थी अंतिम नोटिस को लेकर आए है। प्रस्तुत निगरानी में इस भूमि में व्यक्तिगत गली कहा गया है और ऐसा स्पष्ट है कि गली में अतिक्रमण करना चाहते है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध पंचायत समिति में अपील की जाती है(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के तहत)। इस हेतू दृष्टांत RLW 1972 page no. 516 प्रस्तुत किया । अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने पुन अपनी बहस में कथन किया कि मुझे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुनः कथन किया कि तीन नोटिस जारी किए गए और 03 माह का समय दिया गया। नोटिस के पृष्ठ पर चस्पानंगी रिपोर्ट दर्ज है।

हमनें दोनो पक्षो की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन, मनन किया। साथ ही संलग्न नोटिस की प्रति के पृष्ठ में दर्ज चस्पानंगी रिपोर्ट का भी अध्ययन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन में इस निगरानी को इस आधार पर खारिज किए जानें का निवेदन किया कि 97(क) पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद के आदेश की ही अपील की जा सकती है, न कि ग्राम पंचायत के आदेश की। परन्तु पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि यह निगरानी 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत दर्ज है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सरपंच के अधिकार के तहत नियम 165, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–2011 का जिक्र किया है। जिसके नियम 165(3) के तहत निषेधात्मक कार्यवाही सरपंच द्वारा किया जाना अधिनियमित है। सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश पंचायत द्वारा पारित किया जाएगा। संदर्भित निगरानी में सरपंच द्वारा नोटिस जारी कर इस नियम की सीमा को पार नहीं किया है और सुनवाई का समुचित अवसर भी निगरानीकर्ता को दिया गया है। अंतिम निर्णय चूंकि पंचायत द्वारा किया जाना है, सरपंच द्वारा ऐसी

07.06.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कोई कार्यवाही की गई है, उसके उल्लेख पत्रावली में नहीं है। सरपंच द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर की गई कार्यवाही प्रतीत नहीं होती है। जहां तक अपील का प्रश्न है, अगर पंचायत कोई आदेश पारित भी करती है तो धारा 61 पंचायती राज अधिनियम के तहत उसकी अपील पंचायत समिति/इस हेतू गठित कोई उपसमिति में की जा सकती है। समस्त विश्लेषण से उक्त निगरानी विधिक आधार पर अनुपयुक्त कथनों के परिदृश्य में खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखा जा कर दिनांक 07.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/6/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)